किराए पर गाड़ियां लेकर नशा तस्करों को बेचने वाली गैंग के पांच बदमाश दबोचे

आरोपियों के पास से किराए पर ली गई स्कॉर्पियो व थार जीप बरामद

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । करधनी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) जयपुर पश्चिम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किराए पर गाड़ियां लेकर नशा तस्करों के बेचने वाली गैंग के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से किराए पर ली गई स्कॉर्पियो व थार जीप बरामद की है। पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित अजमेर जेल से योजना कर गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करना सामने आया है। पुलिस पूछताछ कर गैंग के फरार साथियों की जानकारी जुटा रही है।

करधनी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) जयपुर पश्चिम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किराए पर गाड़ियां लेकर नशा तस्करों के बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश किया।

- **अजमेर जेल से योजना कर गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करना आया सामने**

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि करधनी थाना पुलिस और (डीएसटी) जयपुर पश्चिम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किराए पर गाड़ियां लेकर नशा तस्करों के बेचने वाली गैंग के आरोपित मनीष यादव (24) निवासी बहरोड-कोटपूतली, रामलाल (60) निवासी सरदार शहर जिला चुरू, अंशु सिंह (26) निवासी मांण्डल जिला बहरोड-कोटपूतली, कर्मवीर सिंह उर्फ मोनू बन्ना (33) निवासी मांण्डल जिला बहरोड-कोटपूतली और विजय कुमार उर्फ बिज्जु साहवा (44) निवासी सावा जिला चूरू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विजय कुमार उर्फ बिज्जु साहवा के खिलाफ 11 और अंशु सिंह के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से किराए पर लेकर बेची गई स्कॉर्पियो व थार जीप बरामद की गई है।

थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि थाने में 9 मार्च को राजेन्द्र सिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका जानकार रवि गुर्जर किसी काम के लिए उससे स्कॉर्पियो लेकर गया था। रवि गुर्जर से उसका जानकार मोहित सोनी व संदीप यादव शादी में जाने की बोल कर स्कॉर्पियो सीकर लेकर गए थे।

जिन्होंने स्कॉर्पियो नहीं लौटाई और जीपीएस चेक करने पर बंद आ रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित सोनी ने स्कॉर्पियो व थार किराए पर मनीष यादव को दी है। उसकी आईडी फेक होने के साथ ही मोबाइल बंद आ रहा है।

पुलिस ने किराए पर कार लेने वाले मनीष यादव की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी मनीष यादव को धर-दबोचा। जहां पूछताछ में मनीष यादव से सामने आया कि हत्या के मामले में अलवर जेल में बंद जयंत यादव उसका जानकार है। कुछ दिन पहले जेल में मुलाकात हो जाने पर जयंत यादव ने कहा था कि उसका कोई दोस्त आएगा। इसके साथ उसे यपुर से किराए की कार लेनी है। फेक आईडी की व्यवस्था में कर देगा। बस उसे उसके साथ जाकर दो गाड़ी लेने की व्यवस्था करनी है। इसके बाद जयपुर आकर मोहित से मिलकर थार और स्कॉर्पियो किराए पर लेने की बात की। अजमेर जेल में बंद जयंत की ओर से भिजवाई आईडी देकर थार और स्कॉर्पियो किराए पर ली।

जयंत के भेजे लड़के ने वॉट्सऐप कॉल पर बात की और उसके बाद वह दोनों गाड़ियां लेकर चला गया। जहां जयंत के कहने पर सीकर के पास दोनों गाड़ियां उसके साथी अंशु सिंह व कर्मवीर सिंह को देकर आ गया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई कर अंशु सिंह व कर्मवीर सिंह की जानकारी जुटाई। पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों आरोपी अंशु सिंह व कर्मवीर सिंह को धर-दबोचा। पूछताछ में आरोपी अंशु सिंह से सामने आया कि एनडीपीएस के मामले में अलवर जेल में बंद होने के दौरान उसकी मुलाकात जयंत से हुई थी। जमानत व अन्य खर्चों के लिए रुपयों की व्यवस्था के लिए फेक आईडी से गाड़ी लेकर बेचने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो गई। योजना के अनुसार साथी कर्मवीर सिंह, भैरव बन्ना उर्फ भुरू बन्ना व उसके दो दोस्त मिले। जयंत की ओर से भेजे लड़कों से स्कॉर्पियो और थार जीप ली। विजय साहवा को थार जीप 1.90 लाख और स्कॉर्पियो 2.90 लाख रुपए में दे दी। दोनों गाड़ियों को बेचने पर आए कुल 4.80 लाख रुपए में से 3.90 लाख रुपए जयंत के कहे अनुसार उसके भेजे लड़कों को दे दिए। पुलिस टीम ने विजय साहवा का नाम सामने आने पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। आरोपी विजय साहवा के कब्जे से स्कॉर्पियो बरामद की गई, उसके ओर से रामलाल को बेची गई थार को भी बरामद कर लिया गया। आरोपी विजय साहवा किराए पर आई गाड़ियों को खरीदकर मोटे दाम में नशा तस्करों को डिलीवरी देता था। गाड़ियों को बेचने से आए पैसों को आपस में बाटा जाता। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदाते खुलने की आशंका जताई जा रही है।

तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को टक्कर मारी

जयपुर । जामडोली थाना इलाके में स्थित जयपुर-आगरा टनल के पास बुधवार देर रात को एक कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार कार सवार कार को मौके पर छोड भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एसएमएस ट्रोमा सेंटर पहुंचाया।,तीनों की हालत गम्भीर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच सडक दुर्घटना थाना पूर्व की ओर से की जा रही है।

दुर्घटना थाना पूर्व एएसआई ईस्वर सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात सूचना मिली थी की कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार तीन युवक गम्भीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एसएमएस में भर्ती करवाया। पुलिस ने कार और दुर्घटना में क्षितग्रस्त हुई बाइक को जब्त कर चालक की तलाश की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार बाइक चला रहे युवक के सिर में गंभीर चोट है और वहीं पीछे बाइक पर बैठे दोनों युवक के हाथ और पैर में फैक्चर हुआ है।बाइक और कार की भिड़ंत के बाद कार चालक कार लेकर फरार होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कार जाम होने जाने के कारण चालक कार को मौके पर छोड़ कर भाग गया।

कार्यशाला 28 से

जयपुर । जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से क्रोशिया व बुनाई कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 7 मई तक केंद्र की अलंकार दीर्घा में चलने वाली कार्यशाला में प्रशिक्षक सीमा शर्मा क्रोशिया व बुनाई का प्रशिक्षण देंगी। कार्यशाला में 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले भाग ले सकते हैं। कार्यशाला में प्रवेश पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

पुलिस ने अवैध हथियार व कारतूसों की खेप पकड़ी

- **दो हिस्ट्रीशीटर सहित चार बदमाशों को पुलिस ने दबोचा**
- **चार देसी कट्टे सहित 17 जिंदा कारतूस जब्त किए**

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी) और सोडाला थाना पुलिस ने ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत कार्रवाई करते हुए हुए अवैध हथियार व कारतूसों की खेप जब्त कर दो हिस्ट्रीशीटरों सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से चार देसी कट्टे सहित 17 जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन कुंवरिया ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत सीएसटी और सोडाला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवतार उर्फ अजीत (30) निवासी मुस्तान जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) हाल महेश नगर जयपुर,विनोद उर्फ मनोज उर्फ मामापुरी(32) निवासी सोडाला जयपुर,सलीम उर्फ धौलू (32) निवासी सुलताना जिला झुंझुनू और सूरज सिंह रावत (25) निवासी सोडाला जयपुर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चार देसी कट्टे सहित 17 जिंदा कारतूस जब्त किया है।

गिरफ्तार आरोपित विनोद उर्फ मनोज पुलिस थाना सोडाला और सलीम पुलिस थाना सुल्ताना जिला झुंझुनू का हिस्ट्रीशीटर है। राकेश उर्फ राका (एचएस) व अर्जुन योगी पूर्व में शराब तस्करी में साझेदार थे।

शराब तस्करी के पैसों के लेनदेन में आपसी विवाद के चलते अर्जुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर राकेश उर्फ राका की वर्ष 2021 में हत्या कर दी। जिससे बदला लेने के लिए विनोद उर्फ मनोज पुरी जो राका का बड़ा भाई ने हत्या की साजिश रची। आरोपित विनोद उर्फ मनोज पुरी आदतन अपराधी है।

जिसके खिलाफ लड़ाई झगड़े, चोरी, नकबजनी, अवैध शराब व हथियार रखने सहित 14 अपराधिक मुकदमें है। इसके अलावा साथी सलीम उर्फ धोला जो थाना सुल्ताना जिला झुंझुनू का एचएस है तथा थाना सुरजगढ़ जिला झुंझुनू से एनडीपीएस में वांटेड है जिसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 8 मुकदमें दर्ज है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

सार-समाचार

बंधन एलीट प्लस सेविंग अकाउंट लॉन्च

जयपुर । बंधन बैंक ने प्रीमियम ग्राहकों के लिए एलीट प्लस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है, जो बैंकिंग को एक स्टेटस सिग्नेचर बनाने वाला खाता है। इसमें प्रीमियम डेबिट कार्ड, मुफ्त मूवी टिकट, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, गोल्फ सेशन्स और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन जैसे कई खास लाभ दिए गए हैं। लॉन्च के मौके पर बैंक के एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम ग्राहक सिर्फ बैंकिंग न करें, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी पाएं, जो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। एलीट प्लस उनके लिए वही खासियत लेकर आया है।" पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस खाते के पहले ग्राहकों में शामिल हुए। लॉन्च के मौके पर बैंक के एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ईडी-सीबीओ राजिंदर कुमार बब्बर और ईडी-सीओओ रतन कुमार केश मौजूद रहे। वहीं, बैंक ने अपने बंधन एलीट सेविंग्स अकाउंट को भी नए स्वरूप में पुनः लॉन्च किया है।

ऑर्थोपेडिक सम्मेलन जयपुर में होगा

जयपुर । मध्य भारत के इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का अर्धवार्षिक सम्मेलन जयपुर में 12 व 13 अप्रैल को आयोजित किया जायेगा। आयोजन समिति अध्यक्ष डॉ . जयंत सेन ने बताया कि इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। डॉ. सेन ने बताया कि इसने ऑर्थोपेडिक की नवीनतम उपचार प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी । आयोजन सचिव डॉ. राहुल कट्टा बताया कि यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनैशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है।

मंजू खटोड़ टीम रघुकुल से प्रत्याशी

जयपुर । श्री माहेश्वरी समाज के आगामी चुनावी सत्र (2025 - 2028) में महिला परिषद से मंजू खटोड़ को चौकड़ी श्याम नगर जोन - 5 से प्रत्याशी बनाया गया है। गौरतलब है कि मंजू खटोड़ प्रसिद्ध चित्रकार चन्द्रप्रकाश गुप्ता (खटोड़)की धर्मपत्नी हैं, इस अवसर पर समाज के गोपाल मालपानी, विपिन साबू, स्नेहलता साबू, देवेंद्र झंवर, बृजेश लड्ढा एम. डी.खटोड़, प्रकाश गट्टानी, राजेश नोवाल, ओमप्रकाश लड्ढा, शशि लखोटिया, प्रिंसी मंडोवरा, कविता सोमानी, आशा लड्ढा, ज्योति हुरकट, संजू मुदड़ा और आकांक्षा बिरला समेत कई लोग मौजूद थे।

हैनीमन जयन्ती का आयोजन

जयपुर । भागवत ट्रस्ट द्वारा संचालित वडील निवास (वृद्धाश्रम), वानप्रस्थ मंदिर परिसर में राजस्थान होम्योपैथी एवं कल्याण संस्थान द्वारा हैनीमन जयन्ती का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव डा. श्याम प्रकाशपारीक ने संत डा. सेमुअल हैनीमन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए होम्योपैथिक दवाओं की कार्य पद्धति व क्रियाशीलता के बारे में विस्तार से समझाया। डा. श्याम प्रकाश ने होम्योपैथी के बारे में फैली भ्रांतियों का निवारण करते हुए उनका समाधान भी किया। कार्यक्रम में जय श्री बेन, रक्षा बेन, प्रियकान्त भाई, प्रमोद भाई, जगदीश भाई, अविनाश भाई सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सुबी आरती बेन इत्यादि शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहयोग देकर लाभ उठाया। कार्यक्रम समाधान पर संस्थान के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट आर.पी. पारीक ने उपस्थित जन का आभार व्यक्त किया।

ए.सी.एमई. ग्रुप ने तय किया लक्ष्य

जयपुर । उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2030 तक 125 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जिससे भारत वैश्विक सौर बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। इस अनुमान का समर्थन करते हुए और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करते हुए एसीएमई ग्रुप ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रवेश करते हुए 2030 तक 10,000 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए कंपनी ने जयपुर, राजस्थान में 1.2 गीगावॉट की सालाना क्षमता वाला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है, जिसमें 230 करोड़ रुपये का निवेश और 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कंपनी की नई इकाई, एसीएमई रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अब सोलर सेल निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इसके साथ ही कंपनी को एमएनआरई की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (एएलएमएम) में शामिल किया गया है, जिससे सरकारी और निजी सोलर परियोजनाओं में इसकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

सात लाख रुपए लूट की झूठी सूचना देने वाले तीन गिरफ्तार

जयपुर । मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 अप्रैल की रात को चाकू दिखा कर 70 लाख रुपये की लूट की झूठी सूचना देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

- **पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मामला खुला, सख्ती से पूछने पर युवकों ने झूठी सूचना देने की बात कबूली**

मुहाना थाना पुलिस ने 9 अप्रैल की रात को चाकू दिखा कर 70 लाख रुपये की लूट की झूठी सूचना देने वाले तीन बदमाशों को पकड़ा।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 अप्रैल की रात को चाकू दिखा कर 70 लाख रुपये की लूट की झूठी सूचना देने वाले अभिषेक कुमावत (25) निवासी ज्योति नगर जयपुर, प्रकाश शर्मा (30) निवासी रामगढ़ जिला दौसा और अभिषेक राजपुत (25) निवासी कोलवा दौसा को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी उदय सिंह ने बताया कि घटना के तुरन्त बाद ही घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के रूट सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये। साथ ही सूचनाकर्ता से पूछताछ की गयी । जिस पर सूचनाकर्ता बार-बार पुलिस को झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर गुमराह करता रहा। घटना के तथ्य झुठे होने के आशंका पर सूचना कर्ता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात को झूठी होना बताया। सूचनाकर्ता अभिषेक कुमावत ट्रेडिंग का काम करता है। जिसने प्रकाश शर्मा को व्यापार करने के लिये आपसी रजामंदी से 2 लाख 11 हजार रुपये दिये। झूठी सूचना देकर अपने दोस्त प्रकाश शर्मा को फंसा कर मोटी रकम वसूलना चाहता था। आरोपी ने षड्यंत्र पूर्वक व्यापार के लिये रुपये देने के बाद 07 लाख रुपये की लूट होने की झूठी सूचना दी। रात भर पुलिस को छकाता रहा। सूचनाकर्ता व कथित आरोपी आपस में दोस्त है जो साथ मिलकर ट्रेडिंग का व्यापार करने के लिए लेनदेन करते रहते है। झूठी सूचना देने पर सूचनाकर्ता व उसके साथी के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार किया।

जेबीएल की ट्यून सीरीज 2 लॉन्च

जयपुर । हाई क्वालिटी म्यूजिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहने वालों के लिए प्रमुख ऑडियो ब्रांड जेबीएल ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित ट्यून सीरीज़ 2 लॉन्च कर दी है, जिसमें ट्यून बड्स 2, ट्यून बीम 2 और ट्यून फ्लेक्स 2 शामिल हैं। इन टी डब्ल्यू एस ईयरबड्स को दमदार साउंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और विभिन्न लाइफस्टाइल की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। इन प्रोडक्ट्स में ब्लूटूथ 5.3 एलइ ऑडियो, एडाप्टिव नॉइस कैंसलिंग, 6 हाई-परफॉर्मेंस माइक्रोफोन्स, आईपी54 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस, और गूगल फास्ट पेयर जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। यह जानकारी विक्रम खेर, वाइस प्रेसिडेंट- लाइफस्टाइल, हारमन इंडिया ने दी ।

गांजे के 712 हरे पौधे जब्त किए

जयपुर । जयपुर ग्रामीण जिले की अमरसर थाना पुलिस ने ऑपरेशन नॉकआउट तहत कार्रवाई करते हुए काली माता रोड नाले में अवैध गांजा के 715 हरे पौधे (38) किलो जब्त किया है। जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि अमरसर पुलिस ने काली माता रोड नाले में अवैध गांजा के 715 हरे पौधे 38 किलो जब्त किया है।

सी.बी.आई. अफसर बनकर करोड़ों रु. ठगने वाले पकड़े

- **नौकरी का झांसा देकर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते थे आरोपी**

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी) ने महेश नगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए सीबीआई का अफसर बन कर नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली गैंग का मुख्य आरोपी को उसके तीन साथियों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नौकरी का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर मय दस्तावेज और फर्जी सीबीआई स्पेशल ऑफिसर का कार्ड भी बरामद किया है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन कंवारिया ने बताया कि सीएसटी ने महेश नगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए सीबीआई का अफसर बन कर नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने मुख्य आरोपी रविंद्र शर्मा उर्फ रवि शर्मा (35) निवासी बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल करणी विहार जयपुर सहित उसके साथी दिनेश कुमार ओला (37) निवासी किशनगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण,कुलदीप सिंह जाट (27) निवासी बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल बिंदायका जयपुर और विकास यादव (21) निवासी बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड हाल करणी विहार जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी स्वयं की गैंग के साथ बेरोजगार युवाओं की तलाश कर उनको स्वयं के पास फर्जी सीबीआई स्पेशल ऑफिसर का कार्ड,वायरलैस सेट, लाल पट्टी की लग्जरी कार, रसूखदार व्यक्तियों के साथ स्वयं के फोटो व स्टेटस दिखाकर सचिवालय, देवस्थान विभाग, फायर स्टेशन एवं अन्य कई सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सहायक बाबू के पद पर अस्थायी व संविदा पर नौकरी लगवाने के लिये उनके दस्तावेज की नकल कॉफी लेकर सचिवालय के गेट व अन्य ऑफिसों के गेटों पर बुलाता है। जिससे बेरोजगार युवा प्रभावित होकर नकल दस्तावेज के साथ रुपये दे देते है। इसके अलावा आरोपी को पूर्व में सीएसटी ने थाना करणी विहार में फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार करवाया गया था। आरोपी जेल से बाहर आने के बाद बार-बार जगह व ठिकाने बदल रहा था और हाल ही में सचिवालय के आसपास घूम फिर कर बेरोजगार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर अपनी गैंग के सदस्यों साथ मिलकर ठगी कर रहा था । पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

'जे.डी.ए. ने लोगों का पक्ष सुने बिना तानाशाही से उजाड़ दिए आशियाने'

खातीपुरा में तोड़फोड़ मामले में पूर्व विधायक डॉ. परम नवदीप सिंह, पूर्व डी.जी. नवदीप सिंह एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने प्रैस कॉफ्रेंस की

जयपुर । राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा झाड़खंड़ तिराहे से 200 फीट बाईपास के बीच सड़क को चौड़ा करने के लिए की गई कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों ने सवाल खड़ा करते हुए इसे गलत एवं तानाशाहीपूर्ण की गई कार्रवाई बताया है।

पूर्व डी.जी. नवदीप सिंह और पूर्व विधायक डॉ. परम नवदीप सिंह गुरूवार को प्रेस से रूबरू हुए।

इस मामले को लेकर गुरुवार को यहां पूर्व विधायक डॉ. परम नवदीप सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी नवदीप सिंह एवं व्यापार मंडल खातीपुरा के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने प्रेस कांफ्रेस में यह सवाल खड़ा करते हुए इस मामले में राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जेडीए की बिना नियम एवं बिना किसी पीड़ित पक्ष को सुने एकतरफा एवं तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही करते हुए लोगों के आसियाने उजाड़ दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश की पालना करने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि क्या उच्च न्यायालय ने वास्तव में 160 फीट चौड़ी सड़क का आदेश दिया था। जेडीए द्वारा 4 अप्रैल 2025 को जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 21 नवंबर 2024 के हाई कोर्ट आदेश के पालना में अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि सच्चाई यह है कि 29 नवंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को निरस्त कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की गई। इसके बावजूद जेडीए पुराने आदेश का हवाला देकर कार्रवाई करती रही, जिससे लोगों में भ्रम और आक्रोश है।

उन्होंने बताया कि जेडीए द्वारा सड़क के दोनों ओर पहले लाल निशान लगाये गये, जब विरोध हुआ तो रुक गये और बाद में फिर पीले निशान लगाए गए, जिनमें 15 से 20 फीट तक का अंतर पाया गया। स्थानीय निवासियों का सवाल है कि जब दोनों ही निशान जेडीए ने लगाए, तो इतना अंतर क्यों है। इससे स्पष्ट है कि जेडीए के पास सड़क का मध्य बिंदु निर्धारित करने का कोई ठोस मापदंड नहीं है। डॉ. परम नवदीप सिंह ने कहा कि सरकार का यह निर्णय असंवेदनशील और तानाशाहीपूर्ण है। जनता को बिना सुने, उनकी रोजी-रोटी छीन लेना अन्याय है। हम इस मुद्दे को विधानसभा तक उठाएंगे और पीड़ित लोगों न्याय दिलाएंगे।

व्यापार मंडल खातीपुरा के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे व्यापार और परिवार उजड़ रहे हैं। सरकार ने हमारी पीड़ा नहीं सुनी। बिना मुआवजा दिए दुकानें और घर गिराए जा रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। नवदीप सिंह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि कानून का पालन करते हुए पीड़ित पक्षों को सुने और समाधान निकाले। पीड़ित एवं एडवोकेट सुरेश कुमार मिठारवाल ने कहा कि यदि हमारे पास स्वामित्व के दस्तावेज हैं और कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो हम अवैध कब्जेदार कैसे हो सकते हैं, जेडीए को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। जेडीए को लोगों का पक्ष सुनना चाहिए।

'42 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त किया'

जयपुर । जयपुर महानगर प्रथम की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा रानी ने 42 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त किया है। न्यायालय ने यह आदेश राकेश कुमार शर्मा बनाम नईम अख्तर खान के मामले पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में आरोपी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल, सुमनेश जांगिड़ व गिर्राज शर्मा की ओर से की गई।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार परिवादी व अभियुक्त के मध्य एक उधारनामा वर्ष 2019 में निष्पादित किया गया तथा 42 लाख रुपए परिवादी द्वारा अभियुक्त को नकद अदा किए गए। तत्पश्चात वर्ष 2020 में उधार चुकाने के लिए अभियुक्त द्वारा एक चेक 42 लाख 1 हजार का परिवादी को दिया गया, जो कि परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा उधारनामे की शर्तों की पालना नहीं की, इसलिए परिवादी ने एन आई एक्ट का मुकदमा दायर किया, जहां अभियुक्त को तलब किया गया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल द्वारा यह तर्क दिया गया कि हस्तगत संव्यवहार को साबित करने के लिए वर्ष 2019 का उधारनामा मुख्य साक्ष्य था, जिसे परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही 42 लाख जैसी बड़ी धनराशि का नगद में लेनदेन करने के लिए परिवादी द्वारा स्वयं की वित्तीय क्षमता साबित करना अत्यंत अनिवार्य था। जबकि परिवादी इन सभी बिंदुओं को साबित करने में असफल रहा है।

एडवोकेट श्वेताभ सिंघल

परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त नईम अख्तर खान को धारा 138,एन आई एक्ट,1881 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया गया एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंज्ञात होने बाबत धारा 437 ए, दंड प्रक्रिया संहिता के मुचलके लिए गए।

पुलिस कमिश्नर ने सुनी जनसमस्याएं

- **मामलों को अटकाने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई**

जयपुर । जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने गुरुवार को पुलिस थाना जामडोली में जनसुनवाई की। यहां पर फरियाद लेकर आए कई लोगों के मामलों की पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही निपटारा कर दिया।

जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (अपराध) कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम, उत्तर राशि डूडी डोगरा एवं संबंधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारी और थाने के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में जयसिंहपुरा खोर, गलतागेट, ट्रांसपोर्ट नगर, खो नागोरियान, जामडोली, कानोता, बस्सी थाना इलाके के बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जयपुर पुलिस कमिश्नर ने शिप्रापथ (जयपुर दक्षिण), कानोता (जयपुर पूर्व), करधनी (जयपुर पश्चिम), विद्याधर नगर (जयपुर उत्तर), शिवदासपुरा (जयपुर दक्षिण), बगरू (जयपुर पश्चिम), चौमू (जयपुर पश्चिम), प्रताप नगर (जयपुर पूर्व), जयसिंहपुरा खोर (जयपुर उत्तर) जवाहर सर्किल (जयपुर पूर्व), वैशाली नगर (जयपुर पश्चिम), मुहाना (जयपुर दक्षिण), आमेर (जयपुर उत्तर) एवं महेश नगर (जयपुर दक्षिण) थाने में जनसुनवाई की।